लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462023
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्र.विद्या / टी / 08 / 1033 भोपाल, दिनॉक 02 / 08 / 2008

प्रति,

1/ समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

2/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

3/ समस्त संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश

4/ समस्त प्राचार्य
शास. शिक्षा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश

5/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश

6/ समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,मध्यप्रदेश

विषयः **शिक्षण सत्र 2008–09 हेतु शास. हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के विषय शिक्षकों तथा प्रयोगशाला सहायकों/प्रभारी प्रयोगशाला सहायकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स (स्त्रोत शिक्षकों) का प्रशिक्षण**

शैक्षणिक अभ्युत्थान योजनांतर्गत प्रदेश के समस्त शास. हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के विषय शिक्षकों को नवीन पाठ्यक्रम की कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने तथा अकादमिक रूप से मजबूत करने के लिए जिलावार प्रशिक्षण आयोजित किये जाना है। इस हेतु प्रथम चरण में संभाग स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स (स्रोत शिक्षकों) को प्रशिक्षित किया जायेगा।

2/ प्रशिक्षण के सफल क्रियान्वयन हेतु संभाग स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाये :–

स.क्र.	सदस्य का नाम	पद
01	संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग	अध्यक्ष
02	प्राचार्य, शास.शिक्षा महाविद्यालय	उपाध्यक्ष
03	संभागीय मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य	सचिव
04	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक,आदिवासी विकास	सदस्य
05	संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा नामित एक सहायक संचालक	सदस्य

3/ संभागीय समिति के निम्नानुसार दायित्व रहेंगे।

- प्रशिक्षण की रूपरेखा का निर्धारण करना तथा उसे आयुक्त लोक शिक्षण से अनुमोदित कराना।
- प्रशिक्षण स्थल का चयन करना
- प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना
- प्रशिक्षण राशि प्रशिक्षण से दो दिवस पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षण केन्द्र का आकस्मिक तथा अकादमिक निरीक्षण करना
- जिला स्तर पर विषय शिक्षक प्रशिक्षण की मानीटरिंग हेतु निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन करना
- निरीक्षण के दौरान प्रत्येक केन्द्र का निरीक्षण प्रतिवेदन समेकित रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराना
- विषयवार मास्टर ट्रेनर की उपलब्धता सुनिश्चत करना

4/ प्रशिक्षण के विषयः–

- **हाईस्कूल–** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान प्रायोगिक कार्य
- **हायर सेकेण्ड्री स्कूल–** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र,(प्रायोगिक कार्य सहित) गणित, बुक कीपिंग, व्यावहारिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य के मूल तत्व

5/ प्रशिक्षण अवधिः–

प्रशिक्षण की अवधि चार दिवसीय होगी। संभागीय संयुक्त संचालक माह अगस्त, 2008 में अपनी सुविधानुसार तिथि का निर्धारण कर संचालनालय को 07 दिवस में अवगत करायेंगे।

6/ प्रशिक्षण का स्थलः–

संभागीय समिति द्वारा प्रशिक्षण स्थलों का चयन किया जाये। प्रशिक्षण स्थल के चयन में यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर एक समय में 200 से अधिक प्रशिक्षणार्थी न हो।

7/ प्रशिक्षक/ स्त्रोत शिक्षक :–

संभाग स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण में प्रशिक्षण के रूप में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय/ संभागीय मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय अथवा अन्य विद्यालयों के विषय व्याख्याता अथवा बाहरी स्त्रोत शिक्षक का उपयोग किया जाये। 40 प्रशिक्षणार्थियों के बैच पर दो स्रोत शिक्षक नियुक्त किये जायें।

8/ मास्टर ट्रेनर/ प्रशिक्षणार्थी का चयन :–

प्रत्येक जिले से चार विषय शिक्षक का चयन मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण हेतु किया जाये। चयन करते समय यह ध्यान रखा जाये कि शिक्षक विषय का

अच्छा ज्ञाता हो, नवाचारी हो तथा जिलास्तरीय ,प्रशिक्षण में स्रोत शिक्षक का काम कर सके।

9/ **प्रशिक्षण सामग्री :–**

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा तैयार प्रशिक्षण सामग्री तथा राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1, 2 के इंडक्शन प्रशिक्षण हेतु तैयार सामग्री का उपयोग किया जाये।

10/ **प्रशिक्षण की पद्धतिः–**

प्रशिक्षण के पूर्व प्रशिक्षणाथियों का प्री–टेस्ट एवं प्रशिक्षण के पश्चात् पोस्ट टेस्ट लिया जाए। प्रशिक्षण पद्धति व्याख्यान पर आधारित न होकर क्रियात्मक (इंटरेक्टिव) एवं प्रयोजनात्मक पद्धति पर होगी। स्रोत शिक्षक प्रतिदिन परिचर्चा, प्रदर्शन, क्विज, तथा तात्कालिक प्रस्तुतीकरण आदि गतिविधियों का समावेश अनिवार्य रुप से करें। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से फीडबेक प्रपत्र भरवाया जाए।

11/ **मॉनीटरिंग :–**

संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण की सघन मॉनीटरिंग की जायेगी ताकि प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण हो और चयनित प्रशिक्षणार्थी समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करें।

12/ **वित्तीय व्यवस्थाः–**

शैक्षिक अभ्युत्थान हेतु स्वीकृत राशि में से संभागीय संयुक्त संचालकों को आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जायेगी। अतः संभागीय संयुक्त संचालक उक्तानुसार संभाग की प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार कर स्रोत शिक्षक (मास्टर ट्रेनर्स) के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय राशि का मांगपत्र संचालनालय में 03 दिवस के भीतर भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि आवंटन दिया जा सके। प्रशिक्षण में भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार व्यय किया जायेगा। इस हेतु प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार होंगेः–

प्रशिक्षण के दौरान रू. 100/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से व्यय किया जायेगा। यह व्यय निम्नानुसार नार्म्स के आधार पर किया जायेगाः–

- 30/–रूपये स्टेशनरी प्रति व्यक्ति एक बार (रिपोर्टिंग एवं डाक्यूमेंटेशन, फीडवर्क, प्रपत्र, प्री टेस्ट एवंपोस्ट टेस्ट की फोटोकापी आदि)
- 50/– रूपये भोजन एवं आवास प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (नगद भुगतान)
- टी.ए. द्वितीय श्रेणी का निकटतम मार्ग के लिए देय होगा
- 2000/– रूपये आकस्मिक व्यय प्रति प्रशिक्षण स्थल संस्था को देय होगा(पेयजल व्यवस्था/बिजली व्यवस्था/साफ–सफाई/आकस्मिक व्यवस्था आदि)

13/ राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक– रा.शि.के./शि.प्रशि./2008/3179 दिनांक 24/07/2008 के अनुसार शासकीय हाईस्कूल /हायर सेकेण्डरी शिक्षकों को विज्ञान एवं गणित विषय में प्रशिक्षण के निर्देश जारी किये गये है। तद्नुसार हाईस्कूल स्तर के 50 गणित एवं 50 विज्ञान के शिक्षकों को अलग–अलग

कक्षों में प्रशिक्षित किया जायेगा। हायर सेकेण्डरी स्तर के अलग–अलग विषय– जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण में पृथक–पृथक कक्षों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इनकी संख्या भी कुल 100 शिक्षक होगी। इस प्रकार प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में लगभग 200 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

उक्त अनुसार शिक्षा महाविद्यालय के प्रशिक्षित 200 शिक्षकों को संभाग स्तर पर संबधित विषय का स्रोत शिक्षक/मास्टर ट्रेनर्स माना जायेगा। अतः संभागीय संयुक्त संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त विषय के पृथक से स्रोत शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित न किया जाये।

14/ जिला स्तर पर हाईस्कूल/हायर सकेण्डरी में पदस्थ प्रयोगशाला सहायक (सहायक शिक्षक विज्ञान) अथवा प्रयोगशाला प्रभारी को भी प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु भी मास्टर ट्रेनर्स बिन्दु–13 में उल्लेखित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में विज्ञान तथा गणित विषय के प्रशिक्षित शिक्षक होंगे।

15/ **प्रशिक्षण प्रतिवेदन तथा डाक्यूमेंटेशनः–**

स्त्रोत शिक्षकों के प्रशिक्षण का विधिवत् रिकार्ड संभागीय कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्रों पर रखा जायेगा, जिसका संकलित प्रतिवेदन लोक शिक्षण संचालनालय के विद्या कक्ष को प्रशिक्षण समाप्ति के एक सप्ताह में भेजा जायेगा। प्रत्येक संभाग को अपना विधिवत् डाक्यूमेंटेशन का रिकार्ड कम्प्यूटर टाइप कराकर बाइंड कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उपयोगिता प्रमाणपत्र मय दस्तावेज भी संलग्न करना होगा। साथ ही ई मेल के माध्यम से प्रतिदिन की प्रशिक्षण की उपस्थिति लोक शिक्षण संचालनालय की बेवसाइट dpividhya @ yahoo.com पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(श्री बी.आर. नायडू)
आयुक्त
लोक शिक्षण (म. प्र.)

पृ.क्र.विद्या/टी/08/1034 भोपाल, दिनॉक 02/08/2008

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल की ओर संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2 के इंडक्शन प्रशिक्षण हेतु तैयार सामग्री की एक साफ्ट कॉपी तथा एक हार्ड कॉपी संभागीय संयुक्त संचालकों को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध है।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल की ओर विषयवार शिक्षक प्रशिक्षण हेतु तैयार सामग्री संभागीय संयुक्त संचालकों को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध है।

आयुक्त
लोक शिक्षण (म. प्र.)